राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र / 2018 / 595 दिनांकः— 10/8/18

कार्यालय आदेश

मण्डल की 235वीं बैठक के बिन्दु संख्या 235.5 दिनांक 08.02.18 के निर्णयानुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड / प्लिन्थ स्तर के आवासीय भूखण्ड / स्केल्टन / संस्थागत भूमि आवंटन की शर्तोनुसार के पश्चात् 2 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब अवधि बढ़ाने के संबंध में प्रचलित नियमों में निम्नानुसार संशोधन कर विस्तृत आदेश जारी कर सक्षम स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

1. कब्जा तिथि से दो वर्ष एक दिन पश्चात् आठ वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर एक प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आवासन आयुक्त, आवासन मण्डल की स्वीकृति से विलम्ब अवधि बढ़ाई जावे।
2. आठ वर्ष के पश्चात एक दिन से बारह वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर 2 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निर्माण अवधि बढ़ाई जावें।
3. 12 वर्ष के पश्चात निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर 3 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए संचालन मण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लिया जावेगा।

अतः पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र / 2013 / 768 दिनांक 12.08.2013 को निरस्त किया जाता है एवं मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1439 दिनांक 23.03.2018 में संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेशो को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ0 पी.वी. यशवन्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव / वित्तीय सलाहकार / उप वित्तीय सलाहकार / मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम / द्वितीय / निदेशक(विधि) / मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त..............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, / नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

pc-2/F\desktop newly/Office work/Office Order-2015